"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84] रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 मार्च 2006 — फाल्गुन 22, शक 1927

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी)
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ. ग.)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 13 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक /80/मण्डी निर्वा./06.— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 12 की उपधारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, एतद्द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह प्रकाशित करता हूं कि कृषि उपज मंडी समिति 39 गीदम के लिए श्री राकेश सिंह को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 13 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक /80/मण्डी निर्वा./06.— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 12 की उपधारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, एतद्द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह प्रकाशित करता हूं कि कृषि उपज मंडी समिति 40 कोन्टा मु. सुकमा के लिए श्री कपिल को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 13 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक/80/मण्डी निर्वा./06.— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 12 की उपधारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, एतद्द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह प्रकाशित करता हूं कि कृषि उपज मंडी समिति 41 बीजापुर के लिए श्री रामचरण शाह को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 13 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक/80/मण्डी निर्वा./06.— छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 12 की उपधारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के. आर. पिस्दा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, एतद्द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह प्रकाशित करता हूं कि कृषि उपज मंडी समिति 42 भोपालपटनम के लिए श्री गणपत राव को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है.

के. आर. पिस्दा,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.